राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	प्रभुनारायण बनाम सीताराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 162/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु दिनांक 07/01/2026 को पेश हो |	
07/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 08/01/2026 को पेश हो |	
08/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी संख्या 1 लगा. 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये, तत्पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात वादी वकील द्वारा जवाब कुल जवाब प्रस्तुत किया गया | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 13/02/2019 पारित करते तनकी संख्या 1 से 7 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किये जाने व प्रस्तुत दस्तावेजात व दावा जवाब दावा एवं एकीकरण के दौराने की गयी कार्यवाही को चेलेन्ज नही किया जा सकना धारित कर वादीगण का वाद साबित नही कर पाने के आधार पर ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के विधिक निस्तारण हेतु कायम की गयी समस्त तनकीयात का साक्ष्य सबूत के आधार पर विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वाद को ख़ारिज किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | इसके अतिरिक्त विधि के प्रावधानों के अनुसरण में एकीकरण की कार्यवाही को नियमित वाद के माध्यम से चैलेन्ज नही किया जा सकता | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**प्रभुनारायण बनाम सीताराम** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	डिक्री दिनांक 13/02/2019 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	